भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 452

(04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन

452. श्री डी. एम. कथीर आनंद:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण लोगों विशेषकर महिलाओं का कल्याण करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) , स्वच्छ भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा अन्य योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि करने के उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने और मजदूरी में प्रतिवर्ष 6% की वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई विशेष रोजगार गारंटी योजना शुरू की है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): भारत सरकार निरंतर प्रयासों और मजबूत नीति कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं सहित ग्रामीण समुदायों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (बजट अनुमान) के लिए योजनावार बजट अनुमान और संशोधित अनुमान **अनुबंध** में दिए गए हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत , गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाए रखने तथा बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए खासकर महिलाओं और बच्चों पर ध्यान केंद्रित

किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत आवंटित केंद्रीय अंश का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	आवंटन (रुपए करोड़ में)
2022-23	5000.0
2023-24	7000.0
2024-25	7192.0

महिलाओं के कल्याण के संबंध में, उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 के अनुसार महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएँ ऐसी हों जिन्होंने पंजीकरण कराया हो और काम के लिए अनुरोध किया हो। इसके अलावा , व्यक्तिगत काम के मामले में , महिला मुखिया वाले ग्रामीण परिवार उन श्रेणियों में से एक हैं जिन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (30.01.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी की दर (कुल में से महिला श्रम-दिवस का प्रतिशत) निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
महिलाओं की भागीदारी का दर (%)	54.82	57.47	58.9	57.99

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

(ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है को कम से कम सौ दिन की गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करती है। इसके अलावा, मंत्रालय ने वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के परिवार को अतिरिक्त 50 दिन का मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों से अलग) प्रदान करने का अधिदेश दिया है , बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत प्रदान किए गए भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो। इसके अतिरिक्त , सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 50 दिन तक का मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 3 (4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने स्वयं के कोष से इस अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अलग अतिरिक्त दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान कर सकती हैं।

मजदूरी दर में वृद्धि के संबंध में , यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) , 2005 की धारा 6(1) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा योजना के लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य के लिए मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को महंगाई की प्रतिपूर्ति करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दर को संशोधित करता है।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में अधिसूचित मजदूरी दर में वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में औसत वृद्धि लगभग 7% है।

(घ): जहां तक ग्रामीण विकास मंत्रालय का सवाल है , यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) को कार्यान्वित कर रहा है , जो एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है , जिसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए इच्छुक है , को कम से कम सौ दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (30.01.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार पाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लाभार्थियों का प्रतिशत निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	सृजित श्रम दिवस का %	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
2021-22	19.17%	18.33%
2022-23	19.55%	18.02%
2023-24	19.18%	17.61%
2024-25 (30.01.2025 की स्थिति के अनुसार)	19.00%	17.81%

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 452 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (बजट अनुमान) के लिए योजनावार बजट अनुमान और संशोधित अनुमान (रुपये करोड़ में)

क्र.स.	योजना का नाम	वार्षिक योजना 2022-23		वार्षिक योजना 2023-24		वार्षिक योजना 2024-25
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
1	2	3	4	6	7	9
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	73000	90955.77	60000	86000	86000
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-आजीविका	13336.42	11776.01	14129.17	14129.17	15047
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	20000	48422	54487	32000.01	54500.14
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000	19000	19000	17000	19000
5	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9652.31	9652	9636.32	9652	9652
6	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन*	550	988.91	0	0	0

* वित्त वर्ष 2023-24 से इस योजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया जा रहा है।

*****